न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 16/2024(जी.सी.एम.एस.2024/239)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. शमशान भूमि संरक्षण जरिए बाबा रामदेव सेवा समिति, 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर, जरिए प्राधिकृत इन्द्राज सेजू पुत्र ज्ञानी राम सेजू जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। 2. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. कृष्णा देवी पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. मुखराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. रामप्रताप पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. रामलाल पुत्र धन्ना राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. शिवलाल पुत्र काना राम (मृतक) 7/1. बहादर राम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7/2. धन्ना राम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7/3. रामरख पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7/4. हरचन्द पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7/5. सुरली पत्नी हरीराम पुत्री शिवलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. अमनदीप सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9. छिन्द्रपाल सिंह पुत्र चड सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 10. बिकर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति तरखान निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 11. सुखपाल कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 12. हरमीत सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 13. अमरजीत पुत्र नानक राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 14. कलावती पुत्री नानक राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 15. चुन्नीलाल पुत्र नानक राम मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 16. जगदीश पुत्र नानकराम मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 17. मूर्ति पुत्री नानक राम मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 18. सोहनलाल पुत्र नानकराम मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 19. बृजलाल पुत्र धूडा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 20. प्रीतम सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	21. केवल सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 22. बिकर सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 23. रणजीत कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 24. बलराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 25. चानण राम पुत्र पुरवा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 26. ज्ञानी राम पुत्र चूना राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 27. तुलसा राम पुत्र चोखा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 28. रामनारायण पुत्र तुलसा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 29. डूंगरराम पुत्र रामचन्द जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 30. सतपाल पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 31. नत्थू राम पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 32. ताराचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 33. जगदीश पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 34. प्रभू राम पुत्र लूणा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 35. शंकरलाल पुत्र पुरवा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 36. देशराज पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 37. ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 38. दयालाराम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 39. मुंशीराम पुत्र ठाकर राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 40. चंदू राम पुत्र मंगला राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 41. लालचन्द पुत्र सुरजा राम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 42. बीरबल राम पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 43. मदनलाल पुत्र पृथ्वीराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 44. राजविन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 45. भजनलाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 46. रामेश्वर पुत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।

अधिकारी (राजस्व) ...करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रार्थी

तारीख रजूः–22.07.2024

2.श्री सतीश कुमार अरोडा अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 20, 21, 22
3.श्री पलविन्द्र सिंह अप्रार्थी संख्या 8, 9, 11
4.श्री मोहित गोयल अप्रार्थी संख्या 23
5.श्री रामदास सोंलकी अप्रार्थी संख्या 24 ता 46

—निर्णय—

दिनांक : 16.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन शमशान के रूप में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का उपयोग व उपभोग पिछले 30-40 वर्षो से मेघवाल समाज, 6 वीं धनूर द्वारा शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर रूप से किया जा रहा है। उक्त भूमि में आने-जाने के लिए कोई स्वीकृत व संचालित मार्ग नहीं है। समाज के लोगों, शवयात्रा अन्य काश्तकारों के खेतो में से होकर करते आ रहे है और स्थायी मार्ग संचालित नहीं है। जिस कारण समाज के व्यक्तियों को कई असुविधा होती है। प्रार्थी उक्त शमशान भूमि हेतु 2-2 बिस्वा रास्ता संचालित करवाना चाहता है। प्रार्थी को उक्त मार्ग की आत्यातिंक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त भूमि में कोई भी वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव है। उक्त भूमि में मार्ग स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थी ने कई प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है और पूर्व के भांति असुविधा जारी है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास शेष नहीं रहा। प्रार्थी उक्त रास्ता के संबध में होने वाली कटौती के रूप में अप्रार्थी को रास्ता के बदले भूमि या भूमि की किमत के अनुसार डीएलसी राशि देने को तैयार व तत्पर है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू. अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 की कुल 0.506 हैक्टेयर शमशान भूमि के लिए दो-दो बिस्वा रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 6, 7/1, 10, 13, 15, 16, 19 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 8, 9, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया। प्रार्थीगण प्रीतम सिंह, केवल सिंह, बिकर सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश अरोडा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को बतौर अप्रार्थी संख्या 20, 21, 22 के रूप में संयोजित किया गया। प्रार्थीगण बलराम आदि की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 24 ता 30 के रूप में संयोजित किया गया। प्रार्थी रणजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को बतौर अप्रार्थी संख्या 23 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 7/2 ता 7/5, 12, 14, 17, 18 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 6, 7/1, 10, 13, 15, 16, 19 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 वीं धनूर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 की कुल 0.506 हैक्टेयर शमशान भूमि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए भी मार्ग स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पेश कर अर्ज किया कि चक 6 वीं धनूर में स्थित कल्याण भूमि स्थित है। कल्याण भूमि में आने-जाने के लिए पूर्व में मुरब्बा नम्बर 54 में रास्ता स्वीकृत है, इसी रास्ता से गांव के निवासी आने-जाने के लिए उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी पूर्व रास्ता को बन्द कर नया रास्ता खुलवाने के आशय से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो काबिले खारिजी है। अप्रार्थी संख्या 23 ता 46 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि में स्थित शमशान भूमि के लिए 2-2 बिस्वा मार्ग स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 8, 9, 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त शमशान भूमि में आने-जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया हुआ है, जो मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13 व 18 में स्थित शमशान भूमि में जाता है। इसी रास्ता को शुरू से सम्पूर्ण ग्रामवासी उपयोग व उपभोग कर रहे है। इस कारण मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 5, 6, 15, 14 में रास्ता स्वीकृत होने से ग्राम वासियों की समस्या का समाधान हो जायेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अनाधिकृत रूप से, वास्तविक तथ्यों से भिन्न, विधिक प्रावधानों के विपरीत, माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया होने के कारण अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

3. हस्तगत प्रकरण के रास्ता के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2022/103 दिनांक 10.02.2022 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक धनूर व पटवारी हलका धनूर द्वारा चक 6 वीं के मुरब्बा नम्बर 54, 60, 61, 62, 63 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा शमशान भूमि मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 तक पहुंचने के लिए 2-2 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 13, 18 की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन शमशान दर्ज है तथा शमशान भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है। चक 6 वीं ग्राम के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3 की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा, किला नम्बर 3, 8 की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि में से रास्ता व्यावहारिक है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि, किला नम्बर 3, 8 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि कुल 6 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता में चल रहे जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के खाल को प्रभावित किए बिना रास्ता को खुलवाया जावे तथा मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3, 8 की कुल 6 बिस्वा भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सर ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/377 **दिनांक :-16.06.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 16/2024 अनवान शमशान भूमि सरंक्षण बनाम राजस्थान सरकार आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 16.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2025 के अनुसार प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 वीं धनूर, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि, किला नम्बर 3, 8 प्रत्येक की पूर्वी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा भूमि कुल 6 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता में चल रहे जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के खाल को प्रभावित किए बिना रास्ता को खुलवाया जावे तथा मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 5, 4, 3, 8 की कुल 6 बिस्वा भूमि की प्रचलित डी. एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

[(आर.ए.एस.)]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर